



2026:AHC:26876

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3257 / 2026

महेंद्र यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अनूप कुमार दुबे
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी. शुक्ला को सुना गया।
2. आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील-लालगंज, जनपद आजमगढ़ को मुकदमा संख्या 15420 / 2025 (कंप्यूटरीकृत मुकदमा संख्या T202515060415420) को निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारित करने का निर्देश देने के लिए की गई है।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर उपरोक्त मामले को प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील-लालगंज, जनपद आजमगढ़ को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

6 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"